रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-24072025-264926 CG-DL-E-24072025-264926

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

#### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 444]

नई दिल्ली, मंगलवार , जुलाई 22, 2025/आषाढ़ 31, 1947 NEW DELHI, TUESDAY , JULY 22, 2025/ ASHADHA 31, 1947

## No. 444]

### पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 487(अ).— पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का संशोधन करने के लिए कितपय नियमों का प्रारूप, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 753(अ), तारीख 17 अक्टूबर, 2023 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में तारीख 18 अक्टूबर, 2023 को प्रकाशित किया गया था, जिसमें सभी व्यक्तियों से, जिनके उसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना थी, आक्षेप और सुझाव उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के समाप्त होने से पूर्व आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रति जनसाधारण को तारीख 18 अक्टूबर, 2023 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, पूर्वोक्त अधिसूचना के प्रतिउत्तर में सभी व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक रुप से विचार किया गया;

4899 GI/2025 (1)

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) छठा संशोधन नियम, 2025 है।
- (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची-I में क्रम संख्या 40 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

क्र.सं.	उद्योग	मानदंड	मानक	
"40				
	उद्योग		पीएच और बायो एस्से परीक्षण को छोड़कर,	
			मि.ग्रा./ली. में सान्द्रता को सीमित करना	
			नेवार्य मानदंड	
		सीओडी	तकनीकी ग्रेड इकाइयों और उन इकाइयों के	
			लिए जहां एक ही परिसर में प्रतिपादन	
			कार्यकलापों के साथ-साथ तकनीकी ग्रेड	
			उत्पादन होता है, के लिए 250	
			प्रतिपादन ग्रेड इकाइयों के लिए 150	
			प्रातिवादन प्रव इकाइया कारा १ १००	
		बीओडी (3 दिन 27 °C)	30 (प्रतिपादन इकाइयों के साथ-साथ	
			तकनीकी ग्रेड इकाइयों दोनों के लिए)	
		पीएच (pH)	6.5-8.5	
		ऑइल और ग्रीस	10	
		प्लवमान ठोस पदार्थ	100	
		*बायोएस्से परीक्षण	100% बहिस्राब में 96 घंटों के बाद मछली	
			की 90% उत्तरजीविता	
		ख. अतिरिक्त मानदंड		
		साइनाइड CN के रूप में	0.1	
		As के रूप में आर्सेनिक	0.1	
		तांबा	1.0	
		मैंगनीज	1.0	
		पारा	0.01	
	ऐन्टिमनी (Sb के रूप में)		0.1	
		जस्ता	1.0	
		निकल, आदि (भारी धातुएँ व्यष्टिक रूप में)	बीआईएस के अनुसार पेयजल मानकों से	

	व्यष्टिक रूप में 5 गुने से अधिक नहीं होना
	चाहिए
नाइट्रेट (NO3 के रूप में)	50
फॉस्फेट (P के रूप में)	5.0
फिनोल और फेनोलिक यौगिक C6H5OH के	1.0
रूप में	
गंधक	0.03
बेंजीन हेक्साक्लोराइड (बीएचसी)	0.01
कार्बनिल	0.01
कॉपर सल्फेट	0.05
कॉपर ऑक्सीक्लोराइड	9.6
डीडीटी	0.01
डाइमेथोएट	0.45
2,4 D	0.4
एंडोसल्फान	0.01
फेनिटोथ्रियोन	0.01
मेलोथियान	0.01
मिथाइल पैराथियान	0.01
पैराकाट	2.3
फेनाथोएट	0.01
फोरेट	0.01
प्रोपोनिल	7.3
पाइरेथ्रम्स	0.01
जिरम	1.0
अन्य कीटनाशक (व्यष्टिक रूप में)	0.10

\*बायोएस्से परीक्षण IS: 6582-1971 के अनुसार किया जाएगा।

#### टिप्पणी:

- 1. सामूहिक बहिःस्राव शोधन संयंत्र (सीईटीपी) में विसर्जित करने वाले उद्योग पर लागू नहीं
- है, और बागबानी या सिंचाई उदेश्यों के लिए शोधित अपशिष्ट जल के उपयोग सहित भूमि और सतही जल स्रोतों में किए जाने वाले सभी विसर्जनों पर लागू होगा।
- 2. संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ प्रदूषण नियंत्रण समिति अनुप्रवाह में प्रापक जल निकाय के उपयोग के आधार पर कुल घुलनशील ठोस कण (टीडीएस), सल्फेट्स और क्लोराइड की सीमा निर्धारित करेगी, जिसमें बिहःस्राव का निपटान किया जाएगा।

3."अतिरिक्त मानदंडों" के रूप में सूचीबद्ध मानदंडों को मामले दर मामले के आधार पर प्रक्रिया और उत्पाद पर निर्भर करते हुए निर्धारित किया जाएगा।

## ग. उत्सर्जन मानक

1. 50000		
	सीमित सांद्रता mg/Nm³ में	
HCI	20	
Cl <sub>2</sub>	5	
H₂S	5	
NH <sub>3</sub>	30	
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	10	
CH₃CI	20	
HBr	5	
विविक्त कण के रूप में कीटनाशक यौगिक	20	
बेंजीन	5	
टोल्यूनि	100	
ज़ाइलीन	100	
एसीटोनाट्राइल	1000	
डाईक्लोरोमिथेन	200	
एसीटोन	2000	
मिथेनॉल	350	

विलायक\* की कुल संचयी हानि भंडारण सूची से वार्षिक आधार पर विलायक के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए

\* विलायक की हानि से विलायक को गैसीय, रूम में उत्सर्जन और अपशिष्ट जल में छोड़ना अभिप्रेत है।

घ. भस्मकों के लिए उत्सर्जन मानक			
	जब तक निर्दिष्ट न	नमूने लेने की अवधि	
	किया जाए, सांद्रता को	(मिनटों में) जब तक	
	मि.ग्रा./ घनमीटर 3 में	निर्दिष्ट न किया जाए	
	सीमित करना		
विविक्त कण	50	30 या अधिक (300	
		लीटर उत्सर्जन के नमूने	
		के लिए)	
HCI	50	30	
SO <sub>2</sub>	200	30	
СО	100	दैनिक औसत	
कुल जैविक कार्बन	20	30	
कुल डाइऑक्सिन और फ्यूरान	0.1 ngTEQ/Nm³	8घण्टे	

(मौजूदा/नया भस्मक)		
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V	1.5	2 घण्टे
और उनके यौगिक		

#### टिप्पणी :

- (i)सभी मानीटर किए गए मान को शुष्क आधार पर 11% ऑक्सीजन तक सही किया जाएगा।
- (ii) टेल गैस में CO₂ की सांद्रता 7% से कम नहीं होगी।
- (iii) यदि हैलोजेनेटेड कार्बनिक अपिशष्ट का वजन इनपुट अपिशष्ट के हिसाब से 1% से कम है, तो एकल कक्ष भस्मक में सभी सुविधाएं इस प्रकार से बनाई जाएंगी कि भस्मक में न्यूनतम तापमान 1100°C प्राप्त किया जा सके। द्रवीकृत बेड प्रौद्योगिकी आधारित भस्मक के लिए, तापमान 950°C पर बनाए रखा जाएगा।
- (iv) यदि हैलोजेनेटेड कार्बनिक अपिशष्ट का वजन इनपुट अपिशष्ट के हिसाब से 1% से अधिक है, तो अपिशष्ट को केवल टिवन चैम्बर भस्मक में जलाया जाएगा और सभी सुविधा संयंत्रों को प्राथमिक कक्ष में 850±25°C और द्वितीयक दहन कक्ष में 1100°C का न्यूनतम तापमान प्राप्त करने के लिए बनाया जाएगा और द्वितीयक दहन कक्ष में गैस मौजूदगी समय दो सेकंड से कम नहीं होना चाहिए।
- (v) स्क्रबिंग उत्सर्जन के लिए बने स्क्रबर का उपयोग शमनकर्ता के रूप में नहीं किया जाएगा।
- (vi) भस्मीकरण संयंत्रों (दहन कक्षों) को ऐसे तापमान, अवधारण समय और वायुमण्डलीय विक्षोप के साथ संचालित किया जाएगा, ताकि भस्मीकरण भस्म और अविशष्टों में कुल कार्बनिक कार्बन (टीओसी) सामग्री 3% से कम हो और दहन करने पर उनका नुकसान सूखे वजन का 5% से कम हो। मानकों को पूरा न करने की स्थिति में, यथास्थिति, भस्म और अविशष्ट को पुनः जला दिया जाएगा।
- (vii) भस्मक में कम से कम तीस मीटर ऊंची चिमनी होनी चाहिए।

#### ड. भस्मक से उत्पन्न बहिःस्राव

#### टिप्पणी :

- (i). स्क्रबर और फर्श की धुलाई से उत्पन्न बिहःस्राव बंद नाली या पाइपों के माध्यम से प्रवाहित किया जाएगा और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के अधीन अधिसूचित पर्यावरण प्रदूषण (भाग कः बिहःस्राव) के विसर्जन के लिए सामान्य मानकों की अनुसूची: VI के साथ पठित ऊपर 'ख' में उल्लिखित बिहःस्राव मानकों का अनुपालन करने के लिए उपचारित किया जाएगा।
- (ii). अपशिष्ट जल या फर्श धोने से बनने वाला कुल घुलनशील ठोस कण (टीडीएस) उपयोग किए गए अशोधित पानी के (टीडीएस) से 1000 मिलीग्राम/लीटर से अधिक नहीं होना चाहिए।

#### च. तूफान का पानी

#### टिप्पणी :

- (i). तूफान के पानी को स्क्रबर पानी और/या फर्श धोने के पानी के साथ मिश्रित होने की अनुमित दी जाएगी।
- (ii). तूफान के पानी को 10 मिनट (प्रति घंटा औसत) वर्षा जल धारण क्षमता की एचडीपीई लाइन गड्ढे से गुजरने वाली अलग-अलग नालियों के माध्यम से प्रवाहित किया जाएगा।"

[फा.सं.क्यू-15017/06/2019-सीपीडब्ल्यू]

नीलेश कुमार साह, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ॥, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक का.आ. 844 (अ) तारीख 19 नवम्बर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार सा.का.नि. 482(अ) तारीख 21 जुलाई, 2025 द्वारा संशोधित किए गए।

# MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 22<sup>nd</sup> July, 2025

**G.S.R.** 487(E).—Whereas, the draft of certain rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986 were published, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, number, G.S.R. 753(E), dated 17<sup>th</sup> October, 2023, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 18<sup>th</sup> October, 2023, inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notifications were made available to the public;

And whereas, the copy of the said Gazette notification was made available to the public on the 18<sup>th</sup> October, 2023;

And Whereas, objections and suggestions received from all persons and stakeholders in response to the aforesaid notification have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely: -

- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Environment (Protection) Sixth Amendment Rules, 2025.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule-I, for serial number 40 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

S. No.	Industry	Parameter	Standards	
"40	Pesticide Industry	Е	Effluent Standards	
	,		Limiting concentration in mg/l, except for pH and Bioassay test	
		A. Comp	ulsary Parameters	
		COD	250 for technical grade units and for those units where formulation activities as well as technical grade production in the same premises	

	150 for formulation grade units	
DOD (2 days 270C)	30 ( for both formulation units as well as technical	
BOD (3 days 27 <sup>0</sup> C)	grade units)	
pН	6.5-8.5	
Oil and Grease	10	
Suspended Solids	100	
*Bioassay Test	90% survival of fish after 96 hours in 100%	
•	effluent	
B. Add	tional Parameters	
Cyanide as CN	0.1	
Arsenic as As	0.1	
Copper	1.0	
Manganese	1.0	
Mercury	0.01	
Antimony (as Sb)	0.1	
Zinc	1.0	
Nickel, etc. (heavy metals	Shall not exceed individually 5 times the drinking	
individually)	water standards as per BIS	
Nitrate (as NO3)	50	
Phosphate (as P)	5.0	
Phenol & Phenolic Compounds as	1.0	
С6Н5ОН	1.0	
Sulphur	0.03	
Benzene Hexachloride (BHC)	0.01	
Carbonyl	0.01	
Copper Sulphate	0.05	
Copper Oxychloride	9.6	
DDT	0.01	
Dimethoate	0.45	
2,4 D	0.4	
Endosulfan	0.01	
Fenitothrion	0.01	
Malathion	0.01	
Methyl Parathion	0.01	
Paraquat	2.3	
Phenathoate	0.01	
Phorate	0.01	
Proponil	7.3	
Pyrethrums	0.01	
Ziram	1.0	
Other Pesticide (individually)	0.10	
*Dioassay Tast shall be corried out as no	IC. 6592 1071	

\*Bioassay Test shall be carried out as per IS: 6582-1971.

#### Note:

- 1. Not applicable to industry discharging to Common Effluent Treatment Plants, and shall be applicable to all discharge to land and surface water bodies including use of treated wastewater for horticulture or irrigation purpose.
- 2. The concerned State Pollution Control Board or Pollution Control Committee shall prescribe limits of Total Dissolved Solids, Sulphates and Chlorides depending on the usages of recipient water body in downstream, in which effluent shall be disposed off.

3. Parameters listed as "Additional Parameters" shall be prescribed depending upon the process and product, on a case to case basis.

C. Emission Standards			
	Limiting concentration in mg/Nm³		
HCl	20		
$Cl_2$	5		
$H_2S$	5		
NH <sub>3</sub>	30		
$P_2O_5$	10		
CH <sub>3</sub> Cl	20		
HBr	5		
Pesticides compounds in the form of	20		
particulate matter			
Benzene	5		
Toluene	100		
Xylene	100		
Acetonitrile	1000		
Dichloromethane	200		
Acetone	2000		
Methanol	350		

The total cumulative losses of solvent\* should not be more than 5 percent of the solvent on annual basis from storage inventory

\*Losses of solvent means the solvent leaving in gaseous emissions and wastewater.

Losses of solvent means the solvent leaving in gaseous emissions and wastewater.			
D. Emission Standards for Incinerator			
	Limiting Concentration	Sampling durations	
	in mg/Nm3, unless stated	in(minutes) unless	
		stated	
Particulate Matter	50	30 or more (for	
		sampling of 300 litres	
		of emission)	
HC1	50	30	
$SO_2$	200	30	
СО	100	Daily average	
Total organic Carbon	20	30	
Total Dioxins and Furans (Existing or	0.1 ngTEQ/Nm3	8 hours	
New Incinerator)		o nours	
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V	1.5	2 hours	
and their compounds		2 nours	

#### Note:

- (i) All monitored value shall be corrected to 11% oxygen on dry basis.
- (ii) The CO<sub>2</sub> concentration in tail gas shall not be less than 7%.
- (iii) In case, halogenated organic waste is less than 1% by weight input waste, all the facilities in single chamber incinerators shall be designed so as to achieve a minimum temperature of 1100°C in the incinerator. For fluidized bed technology based incinerator, temperature shall be maintained at 950°C.

- (iv) In case halogenated organic waste is more than 1% by weight in input waste, waste shall be incinerated only in twin chamber incinerators and all the facilities shall be designed to achieve a minimum temperature of 850±25°C in primary chamber and 1100°C in secondary combustion chamber with a gas residence time in secondary combustion chamber not less than two seconds.
- (v) Scrubber meant for scrubbing emissions shall not be used as quencher.
- (vi) Incineration plants shall be operated (combustion chambers) with such temperature, retention time and turbulence, as to achieve Total Organic Carbon (TOC) content in the incineration ash and residue less than 3% and their loss on ignition is less than 5% of the dry weight. In case of nonconformity, ash and residue as the case may be, shall be re-incinerated.
- (vii) The incinerator shall have a chimney of at least thirty meters height.

#### E. Effluent from Incinerator

#### Note:

- (i) Effluent from scrubber(s) and floor washings shall flow through closed conduit or pipe network and be treated to comply with the effluent standards mentioned at 'B' above read with Schedule VI: General Standards for Discharge of Environment Pollutions (Part A: Effluents) notified under the Environment (Protection) Rules, 1986.
- (ii) The build-up in Total Dissolved Solids in wastewater or floor washings shall not exceed 1000 mg/l over and above the Total Dissolved Solids of raw water used.

#### F. Storm water

#### Note:

- (i) Storm water shall be allowed to mix with scrubber water and/or floor washings.
- (ii) Storm water shall be channelized through separate drains passing through a High Density Polyethylene lined pit having holding capacity of 10 minutes (hourly average) of rainfall."

[F. No. Q-15017/06/2019-CPW]

NEELESH KUMAR SAH, Jt Secy.

Note: The principle rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number S.O.844(E), dated the 19<sup>th</sup> November, 1986 and last amended *vide* G.S.R. 482(E), dated 21<sup>st</sup> July, 2025.